न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 38/2021
GCMS NO. : 2021/93

–:: प्रार्थी ::–

1. सुगनाराम पुत्र घेवरराम
   जाति–मेघवाल निवासी प्रतापपुरा
   तहसील जैतारण जिला–पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. घेवरराम पुत्र हजारी
2. धारू पुत्र हजारी
3. प्रहलाद पुत्र हजारी
4. मदन पुत्र हजारी
5. मोहन के कायम मुकाम
   5/1. छोटूराम पुत्र मोहन
   5/2. धर्माराम पुत्र मोहन
   5/3. नेनी पुत्र मोहन
   5/4. कमली पुत्री मोहन
   5/5. भरपाई पुत्री मोहन
6. रेवतराम पुत्र घेवर
7. संतोष पुत्री घेवर
   जातियान मेघवाल निवासीगण
   प्रतापपुरा नया गांव, (राबडियावास)
   तहसील जैतारण जिला पाली।
8. भूमिधारी राजस्थान सरकार
   तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 19/08/2021

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1,6 व 7।

–:: निर्णय ::– **दिनांकः 09/03/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायलान एक ही कुटुम्ब के सदस्य है तथा हजारी पुत्र रामसुख के वारिसान है। वंशावली प्रा.पत्र में अंकित है। सरहद मौजा राबडियावास भू–अभिलेख बलाडा में गैरसायलान संख्या 1 से 5 के नाम की शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 358 खसरा संख्या 209 रकबा 1.9668 हैक्टर, खसरा संख्या 209/1 रकबा 0.0081 हैक्टर गै.मु., खसरा संख्या 210 रकबा 1.2950 हैक्टर, खसरा संख्या 211 रकबा 1.7968 हैक्टर, खसरा संख्या 212 रकबा 0.0647 हैक्टर, खसरा संख्या 213 रकबा 0.1133 हैक्टर गै.मु., खसरा संख्या 214 रकबा 0.065[illegible] हैक्टर, खसरा संख्या 215 रकबा 0.7932 हैक्टर, खसरा संख्या 235 रकबा 0.4[illegible]1 हैक्टर आई हुई है। उक्त कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी है, जिसमें सायल का [illegible] जन्म से ही गैरसायलान संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

पिता के आराजी में हक व अधिकार है। सायल का अपने पिता की सम्पत्ति में माफिक हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर कब्जा काश्त है। यदि सायल का पैतृक पुश्तैनी भूमि में नाम दर्ज नहीं होता है तो सायल अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होना पडेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सायल के दादा हजारी पुत्र रामसुख के नाम की है तथा हजारी की मृत्यू होने पर उनके विधिक वारिसान गैरसायल संख्या 1 से 5 के नाम जरीये म्यूटेशन संख्या 493 दिनांक 04.06.1984 को दर्ज हुआ, जो सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 में दर्ज प्रविष्टि से स्पष्ट है प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि में सायल का मौके पर माफिक हिस्सेनुसार कब्जाकाश्त है, सायल का मुख्य धंधा काश्त व मजदूरी है। सायल ने गैरसायल संख्या 1 को प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि में अपना नाम माफिक हिस्सेनुसार दर्ज करने बाबत् दिनांक 31.07.2021 को कहा तो स्पष्ट इन्कार हुआ तथा सायल को गैरसायल संख्या 1 ने यह ऐलानिया धमकी दी कि मेरे हक हिस्से की भूमि को बैचान करूंगा व तुम्हें कब्जे से बेदखल करूंगा। गैरसायल संख्या 1 अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है तो सायल अपनी जायज हक अधिकारों से वंचित होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी सूरत मे संभव नहीं होगी, तब सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में माफिक हिस्सेनुसार अपना नाम दर्ज करवाने की अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। गैरसायल संख्या 1 जो कि 80 वर्षीय वृद्ध व अनपढ व्यक्ति है, जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है, गैरसायल संख्या 1 को गैरसायल संख्या 2 जो कि घर में कर्तादाता व होशियार होने से गैरसायल संख्या 1 को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि बाबत बंटवारा हेतु तहसील कार्यालय जैतारण लाया व कहा कि अपन सभी भाई के आपस में प्रेमभाव बना रहे व कोई वैमन्स्यता पैदा न हो, इसलिये अपनी शामलाती खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा कर देते है इसी विश्वास के साथ गैरसायल संख्या 1, गैरसायल संख्या 2 के विश्वास में आया व कस्बा जैतारण में आकर उक्त भूमि का बंटवारा नहीं करवाकर, गैरसायल संख्या 2 ने गैरसायल संख्या 1 को मुगालते में रखकर एक हकतर्कतनामा अपने पक्ष में दिनांक 03.08.2021 को निष्पादित करवा दिया जो सर्वथा सायल के पिता के विरुद्ध अवैध व प्रभाव शून्य है। गैरसायल संख्या 1 को उक्त भूमियों को गैरसायल संख्या 2 के पक्ष में पैतृक, पुश्तैनी भूमि का हकतर्कनामा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, व न है, व न ही हकग्रहिता को उसमें हक स्वतः खातेदारी अधिकार कानूनन हासिल नहीं होते है, उक्त हकतर्कनामा ऐबईनीसीओ वर्ड है, गैरसायल संख्या 1 ने उक्त हकतर्कनामा गैरसायल संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया जिसके बारे में सायल व गैरसायल के परिवार के अन्य सदस्यों को कोई जानकारी में नहीं लाया। गैरसायल संख्या 2 के पक्ष में किये गये हकतर्कनामा के आधार पर गैरसायल संख्या 2 मौके पर आया व सायल को उसके हक–हिस्से की भूमि में काश्त करने से मना किया व कब्जे से बेदखल करने की धमकी दिनांक 05.08.2021 को दी व सायल को कहा कि उक्त भूमि मैने तुम्हारे पिता से जरीये हकतर्कनामा के प्राप्त की है तुम्हारा कोई इसमें अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में अन्य खातेदारान के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं होने से उन्हें प्रार्थना पत्र से बेदखल, गैरसायल पक्षकार नहीं बनाया है तथा गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

संख्या 6 व 7 को बतौर सायल बनने हेतु निवेदन किया परन्तु उन्होने किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं ली तब उन्हें बतौर गैरसायल पक्षकार बनाया तथा उक्त प्रार्थना पत्र के खातेदार मोहन की मृत्यू होने पर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक, पुश्तैनी होने से कानूनन सायल का जन्म से ही व अधिकार बनता है, इस कारण से सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है तथा उक्त भूमि पर माफिक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जाकाश्त होने से सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथप , दस्तावेजात व जमाबन्दिया पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी में गैरसायल संख्या 2 शामलाती खातेदारी, पैतृक, पुश्तैनी भूमि का हकतर्कनामा के आधार पर गैरसायल संख्या 8 हकग्रहिता के पक्ष में म्यूटेशन स्वीकृत नहीं करे, जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें व सायल के उसके हक–हिस्से की भूमि में काश्त के मुतालिक कोई कार्य खडाई, बुवाई व फसल की कटाई कर फसल प्राप्त करें उसमें गैरसायलान, वारिसान, हाली आदि किसी प्रकार की दखलंदाजी, दस्तंदाजी नहीं करें, जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 2,3,4,5/1,5/2,5/3,5/4 व 5/5 बाद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1,6,7 ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। वकील गैरसायल संख्या 1,6 व 2 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना नहीं चाहते है, आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/सायल(पुत्र) द्वारा अपने पिता (अप्रार्थी सं.1) व अन्य के विरुद्ध ग्राम राबडियावास में स्थित खाता संख्या 358 खसरा संख्या 209 रकबा 1.9668 हैक्टेयर, खसरा संख्या 209/1 रकबा 0.0081 हैक्टेयर गै.मु., खसरा संख्या 210 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, खसरा संख्या 211 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा संख्या 212 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213 रकबा 0.1133 हैक्टेयर गै.मु., खसरा संख्या 214 रकबा 0.6556 हैक्टेयर, खसरा संख्या 215 रकबा 0.7932 हैक्टेयर, खसरा संख्या 235 रकबा 0.4371 हैक्टेयर के पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया है जो जैर विचारण है। प्रार्थी द्वारा ताफैसला वाद वादग्रस्त [illegible] के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी होने से कानूनन सायल का जन्म से ही अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

निहित है एवं प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निष्पादित हकतर्कनामा दिनांक 03/08/2021 अप्रार्थी के हितों के विरूद्ध निष्प्रभावी है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा किये गये उक्त कथनों का किसी भी रूप में खण्डन नहीं किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम राबडियावास की जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में अंकित म्यूटेशन संख्या 493 दिनांक 04/06/1984 के नोट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खातेदार हजारी के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का नाम दर्ज हुआ। प्रार्थी ने यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 धारू पुत्र हजारी ने प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 घेवर पुत्र हजारी से दिनांक 03/08/2021 को उसकी पैतृक पुश्तैनी आराजी जिसमें उसके जन्म से हक अधिकार निहित है का हकतर्कनामा करवा लिया। पत्रावली पर उपलब्ध हकतर्कनामा की अप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। उक्त कथित हकतर्कनामा में अप्रार्थी संख्या 1,3 व 4 ने वादग्रस्त अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हकतर्क करना अंकित है। उक्त हकतर्कनामा के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 में हकतर्ककर्ता ने भी यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत आराजी उनको अपने पिता के फौत होने पर प्राप्त हुई। उक्त विवेचन से यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी आराजी है हालांकि उक्त तथ्य का अंतिम रूप से निर्धारण साक्ष्य पश्चात् होगा। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विन्नम अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से हक अधिकार निहित होता है। अतः प्रार्थी के हक–हिस्से तक प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से निहित अपने हक–हिस्से पर सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का किसी रूप में खण्डन भी नहीं किया है। अतः प्रार्थी का अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** पूर्व विवेचित दोनो बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। पत्रावली पर उपलब्ध कथित हकतर्कनामा दिनांक 03/08/2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 घेवर पुत्र हजारी ने अपने हिस्से में दर्ज भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 धारू पुत्र हजारी के पक्ष में हकतर्क करने का अंकन है। अतः उक्त कथित हस्तांतरण को देखते हुए आगे भी प्रश्नगत आराजी के हस्तांतरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिससे निश्चित ही प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः यह [illegible] प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्नम अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित [illegible] से स्वीकार किया जाकर गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के हक–हिस्से तक की आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना विधि–संगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर **गैरसायल संख्या 1 घेवरराम पुत्र हजारी** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा राबडियावास भू अभिलेख क्षैत्र बलाड़ा तहसील–जैतारण जिला–पाली (राजस्थान) में स्थित खाता संख्या 358 खसरा संख्या 209 रकबा 1.9668 हैक्टेयर, खसरा संख्या 209/1 रकबा 0.0081 हैक्टेयर गै. मु, खसरा संख्या 210 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, खसरा संख्या 211 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा संख्या 212 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213 रकबा 0.1133 हैक्टेयर गै.मु., खसरा संख्या 214 रकबा 0.6556 हैक्टेयर, खसरा संख्या 215 रकबा 0.7932 हैक्टेयर, खसरा संख्या 235 रकबा 0.4371 हैक्टेयर में **प्रार्थी के हक-हिस्से तक की** आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 09/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:51:15 IST
Reason: SelfAttested